भारत सरकार
Government of India

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
Geological Survey of India
केंद्रीय मुख्यालय, राजभाषा अनुभाग
Central Headquarter, OL Section
29, जवाहर लाल नेहरू रोड/29, J.L.N. Rd.
कोलकाता / Kolkata- 700016
फैक्स/फोन नं.- 033-22522011/ IP-01047
ई-मेल आईडी - ddolchq@gsi.gov.in
ddolchq@gmail.com

पत्र सं. 137 ई.11014/2/2017/53/हिंदी दिनांक : 08.04.2019

सेवा में/To

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
   भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय मुख्यालय
2. समस्त क्षेत्रीय एवं राज्य इकाई कार्यालय/समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग/
   सुदूर संवेदन एवं हवाई सर्वेक्षण/प्रशिक्षण संस्थान/
   महानिदेशक शिविर कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण/
3. केंद्रीय मुख्यालय के समस्त मिशन/प्रभाग/अनुभाग

विषय: दिनांक 22.03.2019 को आयोजित भाभूस, केंमु की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त
Sub : Minutes of meeting of Official Language Implementation Committee GSI, CHQ held on 22.03.2019

महोदय/Sir,

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22.03.2019 को श्री राजेन्द्र सिंह गर्खाल, अपर महानिदेशक, पीएसएस एवं महानिदेशक कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है। आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत पर अनुपालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिनों में भेजने की कृपा करें।

The Meeting of Official Language Implementation Committee GSI, CHQ, kolkata was held on 22.03.2019. It was Chaired by Shri Rajendra Singh Garkhal, Addl. Director General (PSS) and Additional Charge of Director General Office. Please find enclosed herewith a copy fo minutes of this meeting for information and necessary action. It is requested that compliance report may kindly be sent to the undersigned within 15 days.

भवदीय,

संलग्न. : यथोपरि

घ.गोन्नाड़े 05/04/19
(घनश्याम गोन्नाड़े)
उप महानिदेशक एवं राजभाषा अधिकारी

पत्र सं./No. 141 ई.11014/2/2015/53/हिंदी दिनांक : 08.04.2019

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/Copy for information and necessary action to :-

1. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आयुध निर्माणी, 10ए, शहीद खुदीराम बोस रोड, कोलकाता-700001
3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व) निजाम पैलेस, कोलकाता-700020
4. निदेशक, भूआंकड़ा प्रभाग, भाभूस, केंमु, कोलकाता को इसे भाभूस पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव, भाभूस, केंमु, कोलकाता।

घ.गोन्नाड़े 05/04/19
(घनश्याम गोन्नाड़े)
उप महानिदेशक एवं राजभाषा अधिकारी

राजभाषा कार्यान्वयन समित, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता की बैठक का कार्यवृत्त
Minutes of the Official Language Implementation Committee Meeting, GSI, CHQ, Kolkata
दिनांक : 22.03.2019

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय मुख्यालय की बैठक दिनांक 22.03.2019 को श्री राजेंद्र सिंह गर्खाल, अपर महानिदेशक, नीति समर्थन तंत्र एवं अतिरिक्त कार्यभार महानिदेशक का कार्यालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए उप महानिदेशक मिशन-IIIग एवं राजभाषा अधिकारी श्री घनश्याम गोन्नाड़े ने कहा कि कार्यालय में राजभाषा नीति कि अनुपालना न सिर्फ हमारा संवैधानिक कर्तव्य है बल्कि यह हमारा नैतिक दायित्व भी है। अपने प्रारंभिक संबोधन के पश्चात उन्होंने श्री अवधेश कुमार सिंह, वरिष्ठ रसायनज्ञ एवं प्रभारी राजभाषा अनुभाग को बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ाने हेतु आमंत्रित किया।

1. **गत बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई एवं अन्य गतिविधियां:**
   श्री अवधेश कुमार सिंह, वरिष्ठ रसायनज्ञ एवं प्रभारी राजभाषा अनुभाग ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट तथा तिमाही के दौरान राजभाषा अनुभाग की अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सदन को सूचित किया कि:

- हिंदी के प्रगामी प्रयोग तथा राजभाषा नीति की अनुपालना की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय मुख्यालय द्वारा भाभूस के निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया गया:

1. भाभूस, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता	7. भाभूस, रा.ई. उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. भाभूस, रा.ई. प.बं. व अंडमान निकोबार, कोलकाता	8. भाभूस, दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद*
3. भाभूस, समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग, कोच्ची	9. भाभूस, रा.ई. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद*
4. भाभूस, रा.ई. त्रिपुरा व मिजोरम, अगरतला	10. भाभूस, रा.ई. तेलंगाना, हैदराबाद*
5. भाभूस, रा.ई. जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू	11. भाभूस, प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद*
6. भाभूस, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ	*दिनांक 25-27 मार्च, 2019 को प्रस्तावित

- दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को महानिदेशक महोदय के हस्ताक्षर से पत्र जारी कर हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट ओसीबीआईएस के माध्यम से भेजने सहित राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कई निदेश दिए गए थे। केंद्रीय मुख्यालय से केवल 02 अनुभागों/प्रभागों से ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
- हिंदी प्रशिक्षण हेतु रोस्टर को अद्यतन करने संबंधी पत्र दिनांक 20.12.2018 को तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 15.01.2019 को पोर्टल पर अपलोड किया गया। कुल 04 मिशन/प्रभाग/अनुभाग से संबंधित सूचना प्राप्त हुई है।
- जनवरी, 2019 में शुरू हुई सत्र में प्रवीण कक्षा में 06 अधिकारी/कर्मचारी, प्राज्ञ कक्षा में 06 अधिकारी/कर्मचारी तथा पारंगत कक्षा में 07 अधिकारी/कर्मचारी नामित किए गए।
- दिनांक 10 जनवरी, 2019 को केंद्रीय मुख्यालय में अखिल भारतीय वार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- दिनांक 11 जनवरी, 2019 को अखिल भारतीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें **'राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान एवं भाभूस में राजभाषा हिंदी का कार्यालयीन उपयोग'** तथा **'राजभाषा क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन योजनाएँ एवं हिंदी वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ'** विषय पर व्याख्यान दिए गए थे।
- भा.भू.स., केंद्रीय मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका 'भूमंथन' अंक-7 के लिए रचनाएँ आमंत्रित की गई थी। कुल 65 रचनाएँ प्राप्त हुई हैं एवं इसका प्रकाशन कार्य प्रगति पर है।
- शिलांग में वर्ष 2018 में आयोजित अखिल भारतीय वार्षिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी में प्रस्तुत लेखों के संकलन का विशेष प्रकाशन किया जा रहा है।

2. **दिसंबर, 2018 की हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा :**

इस विषय पर प्रभारी, राजभाषा अनुभाग महोदय ने सदन को सूचित किया कि गत तिमाही में केवल 05 अनुभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से केवल रसायन प्रभाग व प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग ने ओसीबीआईएस के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट प्रेषित की है। अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभागों/अनुभागों के प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रभाग/अनुभाग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ रिपोर्टों में प्रस्तुत आँकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। समिति के सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभाग/अनुभाग के प्रमुखों को ओसीबीआईएस के माध्यम से सही रूप में तिमाही रिपोर्ट भरने का प्रशिक्षण भी दिया जाए। इस विषय पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति व्यक्त की।

कार्रवाई : केंद्रीय मुख्यालय के सभी प्रभाग/अनुभाग/मिशन/प्रकोष्ठ, राजभाषा अनुभाग

3. **आगामी तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन :**

श्री अजय अग्रवाल, मुख्य अभियंता व समिति के अन्य सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सामूहिक हिंदी कार्यशाला के आयोजन के अतिरिक्त प्रभाग आधारित हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करके वहाँ के कार्मिकों को हिंदी में प्रशिक्षित किया जाना अत्यधिक लाभदायक रहेगा, इससे संबंधित अनुभाग के सभी कार्मिकों में राजभाषा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राजभाषा अनुभाग द्वारा इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया।

कार्रवाई : केंद्रीय मुख्यालय के सभी प्रभाग/अनुभाग, राजभाषा अनुभाग

4. **अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन:**

राजभाषा अधिकारी महोदय ने सदन को सूचित किया कि 20.06.2019 को भाभूस, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सदस्यों से और उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों से अधिक से अधिक वैज्ञानिक शोधपत्र भेजने का अनुरोध किया।

कार्रवाई : सभी क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय मुख्यालय के प्रभाग/अनुभाग/मिशन/प्रकोष्ठ

5. **'स्टोरी ऑफ जीएसआई' का प्रकाशन:**

स्टोरी ऑफ जीएसआई पुस्तक के हिंदी संस्करण के प्रकाशन पर विस्तृत चर्चा की गई। सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती मीनू त्रिपाठी ने सदन को सूचित किया कि स्टोरी ऑफ जीएसआई पुस्तक का हिंदी में पूरी तरह से अनूदित, संविक्षित और संपादित प्रारूप प्रकाशन प्रभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है, परंतु इसपर संबंधित प्रभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि स्टोरी ऑफ जीएसआई के प्रकाशन का कार्य प्रकाशन प्रभाग के एफ़एसपी मद में शामिल नहीं है। इसपर अध्यक्ष महोदय तथा डॉ. एस. राजू, अपर महानिदेशक महोदय ने बताया कि प्रकाशन प्रभाग एक अतिरिक्त मद के रूप में इसे ले सकता है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकाशन प्रभाग ही इस पुस्तक का प्रकाशन करेगा।

कार्रवाई : प्रकाशन प्रभाग, केंद्रीय मुख्यालय

6. **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए जिनमें प्रमुख हैं :

I. **प्रशिक्षण सामग्री का द्विभाषीकरण :** सदन को सूचित किया गया कि 07 प्रशिक्षण सामग्री में से 03 प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद कार्य लखनऊ कार्यालय को सौंपा गया है तथा शेष का अनुवाद कार्य प्रशिक्षण संस्थान में किया जा रहा है। अप्रैल 2019 तक अनुवाद कार्य सम्पन्न होने की संभावना है।

कार्रवाई : जीएसआई प्रशिक्षण संस्थान

II. **हिंदी संवर्ग के पदों पर चर्चा :** हिंदी संवर्ग के पदों पर चर्चा करते हुए राजभाषा अधिकारी महोदय ने बताया कि राजभाषा के क्षेत्र में वांछित नतीजे प्रदान करने की दृष्टि से विभाग में कार्यबल की बहुत

कमी है। स्वीकृत इकाइयों के सापेक्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में उप निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक और उन्नीस कनिष्ठ अनुवादकों के पद रिक्त हैं। भाभूस की अधिकांश राज्य इकाइयों में एक कनिष्ठ अनुवादक तक नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि संबंधित प्रभाग/अनुभाग इस मामले को देखें और यथाशीघ्र खाली पदों को भरें।

कार्रवाई : कार्मिक-I एवं II, स्थापना अनुभाग, केंद्रीय मुख्यालय

III. **भाभूस के वाहनों पर द्विभाषी नाम :** निर्णय लिया गया कि भाभूस, केंद्रीय मुख्यालय के समस्त वाहनों पर द्विभाषा (हिंदी-अंग्रेजी) में विभाग का नाम लिखा जाए एवं वाहनों पर लगे विभाग के प्रतीक चिह्न (एम्बलेम) में विभाग का नाम पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में मुद्रित करके लगाया जाए।

कार्रवाई : अभियांत्रिकी प्रभाग, केंद्रीय मुख्यालय

IV. **क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा राज्य इकाई कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण :** निर्णय लिया गया कि राज्य इकाई कार्यालयों/ परिचालन कार्यालयों में राजभाषा की स्थिति तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किया जाए तथा समय-समय पर अधीनस्थ कार्यालयो में राजभाषा की स्थिति की सक्रिय मॉनिटरिंग की जाए।

कार्रवाई : सभी क्षेत्रीय कार्यालय

V. **हिंदी भाषा प्रशिक्षण :**

बैठक के दौरान हिंदी प्रशिक्षण/ राजभाषा प्रशिक्षण पर चर्चा की गई। राजभाषा अधिकारी, मुख्य अभियंता महोदय और प्रभारी, राजभाषा अनुभाग ने चर्चा में भाग लेते हुए प्रशिक्षण के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव और सूचनाएँ प्रदान की। प्रभारी, राजभाषा अनुभाग ने बताया कि जो अधिकारी नियमित पारंपरिक कक्षाओं में हिंदी प्रशिक्षण लेने में असमर्थ हैं वे ऑन-लाइन प्रणाली अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से समान गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे गूगल प्ले स्टोर से लीला ऐप डाऊनलोड कर अपने फील्ड कार्य को बिना प्रभावित किए सुविधानुसार समयानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कर अधिकारियों को इस प्रणाली की जानकारी प्रदान की जाए। उनके सुझाव पर राजभाषा अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि आगामी तिमाही में आयोजित कार्यशाला में इस विषय पर व्याख्यान की व्यवस्था की जाएगी। सभी को राजभाषा संवर्ग हेतु पदोन्नति से जुड़े दो सप्ताह के प्रशिक्षण की भी सूचना दी गई।

कार्रवाई : केंद्रीय मुख्यालय के सभी प्रभाग/अनुभाग, राजभाषा अनुभाग

VI. **ओसीबीआईएस पोर्टल का द्विभाषीकरण:** सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि ओसीबीआईएस में द्विभाषी अथवा हिंदी में रिपोर्ट उत्पन्न होने की सुविधा नहीं है जबकि ज़्यादातर कार्य अब ऑन-लाइन होते हैं और ओसीबीआईएस के माध्यम से किए गए अनुरोधों/कार्यों का प्रिंट-आउट लेना होता है ऐसे में ओसीबीआईएस द्वारा हिंदी में रिपोर्ट उत्पादित ना करने की स्थिति में हिंदी पत्राचार कठिन हो गया है। चर्चा के उपरांत अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि ओसीबीआईएस कार्यों को द्विभाषी करने के पर्याप्त और ठोस प्रयास किए जाएँ। इसका उत्तर देते हुए राजभाषा अधिकारी महोदय ने सूचित किया कि हिंदी अनुभाग ओसीबीआईएस के विभिन्न मॉड्यूलों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध करावा चुका है और अब एजेंसी के स्तर से कार्रवाई वांछित है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि अपर महानिदेशक एवं राष्ट्रीय मिशन प्रमुख, मिशन-III को यह मामला देखना चाहिए और ओसीबीआईएस को द्विभाषी करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने चाहिए।

कार्रवाई : मिशन-III, केंद्रीय मुख्यालय

अंत में, अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया और बताया कि हिंदी में कार्य करने में तब तक कठिनाई आएगी जब तक हम उससे दूर भागेंगे। उन्होंने राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन में सभी को अपना योगदान देने का आह्वाहन किया।

तत्पश्चात श्रीमती मीनू त्रिपाठी, सहायक निदेशक (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1. श्री राजेन्द्र सिंह गर्खाल, अपर महानिदेशक (नीति समर्थन तंत्र) एवं महानिदेशक कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार
2. डॉ. एस. राजू, अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय मिशन प्रमुख, मिशन-IV
3. श्री घनश्याम गोन्नाड़े, उप महानिदेशक, मिशन-IIIग एवं राजभाषा अधिकारी
4. श्री गजेन्द्र कुमार केशरी, उप महानिदेशक, मिशन-Iए
5. श्री एम. रघुपति, उप महानिदेशक, नीति समर्थन तंत्र-Iए
6. श्री अजय अग्रवाल, मुख्य अभियंता (अभियांत्रिकी)
7. श्री शिवाजी गुप्ता, निदेशक एवं कार्यालय अध्यक्ष
8. श्री अवधेश कुमार सिंह, वरिष्ठ रसायनज्ञ एवं प्रभारी, राजभाषा अनुभाग
9. डॉ. अनिन्द्या दास, वरिष्ठ रसायनज्ञ, रसायन विभाग
10. श्रीमती मीनू त्रिपाठी, सहायक निदेशक (राजभाषा)

अनुपस्थित सदस्यों की सूची

1. श्री कमलाकान्त पंडा, अपर महानिदेशक (वित्त) एवं विभागाध्यक्ष
2. श्री सुरेश नारायण मेश्राम, अपर महानिदेशक, मिशन प्रमुख, मिशन-Iए
3. श्री देव नाथ, अपर महानिदेशक एवं राष्ट्रीय मिशन प्रमुख, मिशन-III
4. श्री आर. बास्करन, अपर महानिदेशक (प्रशासनिक समर्थन तंत्र)
5. सुश्री जयती घोष, उप महानिदेशक (का. एवं प्रशा.)
6. श्री के. जयबालन, उप महानिदेशक, मिशन-IVए
7. श्रीमती संयुक्ता साहू, उप महानिदेशक, मानव संसाधन विकास
8. श्री अजीजुल हुसैन, उप महानिदेशक, एसटीएसएस
9. श्री पी. के. सिन्हा, उप महानिदेशक, मिशन-IIIए
10. श्रीमती नीहारिका झा, उप महानिदेशक, मिशन-IIIबी
11. श्री आनंद प्रकाश राय, उप महानिदेशक, मिशन-IVसी
12. श्री शांतनु साहा, मुख्य सतर्कता अधिकारी
13. डॉ. ए.एस. सैंति वडिवेल, निदेशक (प्रशासन)
14. श्री नीलेश कटियार, निदेशक (वित्त) (कार्यपालक अभियंता)
15. श्री एच.एम. मिश्रा, संयुक्त निदेशक (का. एवं प्रशा.)
16. श्री अमल कुमार राय, भंडार नियंत्रक
17. श्री सलिल चट्टोपाध्याय, उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), प्रशासनिक सतर्कता/प्रलेख
18. श्री तडित रंजन दास, उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), 19बी
19. श्री सुरंजन मुखोपाध्याय, विधि अधिकारी
20. श्री रंजीत कुमार सिंह, उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), 19ए
21. श्री असीत मंडल, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), 19ए
22. श्रीमती सोमा चटर्जी, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), कार्मिक
23. श्री प्रदीप दे, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), लेखा-I
24. श्री तड़ित दास, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), विधि अनुभाग
25. श्री एस. सी. बोस, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), आरटीआई प्रकोष्ठ
26. श्री जयदेव गायन, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), सतर्कता
27. श्री रत्नेश प्रसाद, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), 19बी
28. श्री राजेश घोष, सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.), विधि अनुभाग
29. श्रीमती मिताली पाल चौधुरी, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी